

14. राजगढ़ी
15. शेलीसीन
16. धुवां कोट
17. कहुसबुतोली
18. धारी
19. दारापुर
20. सीराफू
21. मांझनपुर
22. बारा
23. मानपुर
24. बुदनपुर
25. बोरिया

**हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिलों में टेलीफोन सुविधाएं**

2758. श्री महेश्वर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों के अलावा लगभग किसी भी पंचायत में टेलीफोन की सुविधा नहीं है ;

(ख) सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा जिले के भरमौर और पांगी जनजातीय क्षेत्रों की किन-किन पंचायतों को यह सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार उपर्युक्त जिलों में से किन-किन जिलों और स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां; 3 पंचायत गांवों (किल्लर, दुर्गाथी और भरमौर) को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ दिया गया है ।

(ख) किन्नौर जिले के उन पंचायत गांवों के नाम निम्नलिखित हैं जहां 92-93 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है :

(1) पांगी, (2) बारांग और (3) पोवारी अन्य जिलों के पंचायत गांवों को 31 मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी; बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(ग) ब्यौरे विवरण में दिये हैं ।

#### विवरण

टेलीफोन एक्सचेंज जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थापित करने की योजना है

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्थानों के नाम जहां टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है
1	2	3
1.	किन्नौर	1. निचार 2. पूह 3. सांगला 4. मुरांग 5. योगथांग 6. रिब्बा 7. भाबा 8. भाबा नगर 9. पुरबनी

1

2

3

2. लाहौल स्पीती

3. चम्बा

10. वारांग

11. जांगी

12. पांगी

1. काञ्चा

2. ताबू

3. त्रिलोक नाथ

4. टिण्डी

1. होली

2. सुवाई

3. सामरा

4. लामू

5. देवल

**स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाना**

2759. श्री शंकर बयाल सिंह : क्या संचार मंत्री 28 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न सं० 1935 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, वृन्दावन लाल वर्मा तथा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के नाम पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :** (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावों को फिलैटलिक सलाहकार समिति के विचारार्थ रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**टेलीफोन सलाहकार समिति के सब्स्य द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया जाना**

2760. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्थानों का टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों ने उन्हें पद से हटाये जाने के विरुद्ध न्यायालय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :** (क) जी हां।

(ख) पहले गठित की गई टेलीफोन सलाहकार समितियों पर इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ और बेंगलूर में जून, 1991 के दौरान कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। इन समितियों के कुछ सदस्यों ने उन्हें हटाए जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त किए।

दूरसंचार विभाग इन स्थगन आदेशों को समाप्त करने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।